जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा।

सी0सी0ए0 केश नं0–05/2023–24

सरकार

बनाम्

कृष्णा मंडल

–: आदेश :–

दिनांक 30/3/24

विज्ञ सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विपक्षी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक–309/डी0सी0बी0 दिनांक–26.06.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने पथरगामा थाना के अपराधकर्मी कृष्णा मंडल, उम्र–27 वर्ष, पिता–स्व0 जंभू मंडल, सा0–धमसाय, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–2 (डी) के अन्तर्गत परिभाषित असामाजिक तत्व है, के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि अपराधकर्मी कृष्णा मंडल, उम्र–27 वर्ष, पिता–स्व0 जंभू मंडल, सा0–धमसाय, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा एक असामाजिक तत्व है, जिसके द्वारा लम्बे अरसे से पथरगामा थाना क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के घटनाअें को अंजाम दिया है, जिसे सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–46/2022 दिनांक–03.12.2022 धारा–394 भा0द0वि0 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड्डा से जमानत पर मुक्त है।

आगे प्रतिवेदन है कि यह एक परिभाषित असामाजिक तत्व है, जिसका कार्य समाज में अराजकता फैलाना, ग्रामीणों को भयादोहन करने हेतु लूट/डकैती/चोरी/गृहभेदन/छीनतई एवं अवैध हथियार रखकर घटना को अंजाम देने जैसे कई कांड अंकित किये गये है, जिसका उल्लेख अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के प्रस्ताव में क़िया गया है। इसके विरूद्ध पथरगामा थानान्तर्गत काण्ड के अलावे असामाजिक गतिविधि के लिए सन्हा भी दर्ज किया गया है। इसके बाहर रहने से लोक व्यवस्था पूरी तरह से भंग होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए अपराधकर्मी कृष्णा मंडल, उम्र–27

वर्ष, पिता–स्व0 जंभू मंडल, सा0–धमसाय, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए थाना हाजिरी कर निगरानी रखना अति आवश्यक है। इसके बाहर रहने से पथरगामा थाना क्षेत्र के आस–पास के गॉव एवं थाना क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी भय का माहौल बना हुआ है, जिससे लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतएव आम लोगों पर भयाक्रांत खौप, दहशत देखने को मिल रहा है। इसका पुष्टि पथरगामा थाना में दर्ज सन्हा से प्रतीत होता है, जो इनके असामाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है। इनके विरूद्ध दर्ज किये गये आपराधिक इतिहास निम्नांकित है, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड्डा में विचाराधीन है तथा सभी कांण्डों में आरोप पत्र समर्पित किये जा चुके हैं, जिसकी विस्तृत विवरणी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा समर्पित प्रस्ताव में अंकित है।

आपराधिक इतिहास :–

1. सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–46/22 दिनांक–03.12.2022 धारा–394 भा0द0वि।
2. सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–47/22 दिनांक–03.12.2022 धारा–25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
3. पथरगामा थाना काण्ड सं0–194/2022 दिनांक–03.12.2022 धारा–25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।

वर्तमान में उक्त के विरूद्ध दर्ज सन्हा :–

पथरगामा थाना दैनिकी सन्हा संख्या–21/23 दिनांक–01.06.2023 समय 21.30 बजे

आगे प्रतिवेदन में उल्लेख है कि पु0अ0नि0 मिथुन स्वर्णकार सशस्त्र बल के साथ संध्या गस्ती एवं आसूचना संकलन पश्चात थाना आये और बताये कि ग्राम धमसाय, गोरसंडा, चपरी नहर चौक, सिंघयडीह, महुआसोल, पथरिया एवं जोकेलाघाट में आसूचना संकलन के क्रम में ग्रामीणों एवं व्यवसायियों द्वारा बताया गया कि 1. ओमप्रकाश भगत, उम्र–35 वर्ष, पे0–रामानंद भगत उर्फ चौधरी, 2. कृष्णा मंडल, उम्र–27 वर्ष, पे0–स्व0 शंभू मंडल, 3. गुंजन यादव, उम्र–26 वर्ष, पे0–स्व0 गन्नी यादव तीनों सा0–धमसाय, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा के कुख्यात अपराधी है। जो अन्य–अन्य काण्डों में जेल गये थे। ये सभी कुछ माह पूर्व जेल से छुटे हैं। आसूचना संकलन में यह भी पता चला कि धमकी देते रहता है। जिससे

अगल–बगल के गांवों में काफी भय का माहौल बना हुआ है। दर्ज काण्डों एवं सनहा से यह स्पष्ट है कि कृष्णा मंडल, उम्र–27 वर्ष, पिता–स्व0 जंभू मंडल, सा0–धमसाय, थाना–पथरगामा, जिला– गोड्डा झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–2 (डी) में परिभाषित असमाजिक तत्व है। जिनका मुख्य कार्य समाज में अराजकता फैलाना, ग्रामीणों का भयादोहन करना, रंगदारी वसूलना, अपराधिक घटनाओं को अंजाम देना इत्यादि है। यह अपराधी जेल से जमानत पर छुटकर बाहर आया है। इनके जेल से छुटने पर पथरगामा थाना एवं सीमावर्ती थाना क्षेत्रों के लोगों में भय व्याप्त है तथा इनके घर पर अक्सर संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे आमजनों में भय का माहौल बन गया है। इनके भय को आमजनों में कम करने के लिए इनकी निगरानी रखना आवश्यक है। जिसके लिए इन्हे थाना पर हाजिरी कराकर निगरानी रखने पर आमजनों मे दहशत का माहौल नियंत्रण रहेगा। उक्त अपराधकर्मी के विरूद्ध अपराध नियत्रंण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने से आम जनता के मनोबल में वृद्धि होगी तथा दहशत का माहौल नियंत्रित होगा जो पथरगामा थाना एवं सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहायक सिद्ध होगा। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने उक्त असामाजिक तत्व कृष्णा मंडल, उम्र–27 वर्ष, पिता–स्व0 जंभू मंडल, सा0–धमसाय, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा को लोक हित में निगरानी रखने हेतु झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने की अनुशंसा की है।

विपक्षी को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया है। विपक्षी की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है। विपक्षी का कथन है कि विपक्षी पर कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। एक ही दिन के तीन घटना का जिक्र किया गया है, इससे प्रतीत होता है कि विपक्षी पर षड़यंत्र कर झूठा आरोप लगाया गया है। उक्त तीनों केस में विपक्षी जमानत पर है एवं जेल से छूटने के बाद मजदुरी करते हैं। उनका आगे कथन है कि विपक्षी हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार है।इसलिए विपक्षी को थाना हाजरी से मुक्त करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि कृष्णा मंडल, उम्र–27 वर्ष, पिता–स्व0 जंभू मंडल, सा0–धमसाय, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा एक अपराधकर्मी है। विपक्षी के विरूद्ध सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–46/22

दिनांक–03.12.2022 धारा–394 भा0द0वि, सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–47/22 दिनांक–03.12.2022 धारा–25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट एवं पथरगामा थाना काण्ड सं0–194/2022 दिनांक–03.12.2022 धारा–25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट तथा पथरगामा थाना दैनिकी सन्हा संख्या –21/23 दिनांक–01.06.2023 सन्हा दर्ज है। विपक्षी के जेल से बाहर रहने से लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकते हैं एवं इनके द्वारा शांति भंग भी की जा सकती है। चूँकि विपक्षी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा संतोषप्रद नहीं है, जिसे खारिज किया जाता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विचारोपरांत पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के अनुशंसा के आलोक में पूर्णरूपेन संतुष्ट होकर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002(1981) की धारा–3(3)(बी)(i) के प्रावधानों के तहत कृष्णा मंडल, उम्र–27 वर्ष, पिता–स्व0 जंभू मंडल, सा0–धमसाय, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि वे माह जून 2024 तक लगातार अपने दैनिक गतिविधि का सूचना एवं अपनी उपस्थिति इस आदेश में वर्णित, जिसका विवरण निम्नांकित है :–

दैनिक गतिविधि एवं उपस्थिति दर्ज करने का समय

सुबह – 07 बजे से 09 बजे के बीच

शाम – 07 बजे से 08 बजे के बीच

दोनों समय में से किसी एक समय प्रत्येक दिन श्री अभिनव आनन्द, थाना प्रभारी, पथरगामा, मो0 नं0–9431134786 के समक्ष दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी, पथरगामा को आदेश दिया जाता है कि वे कृष्णा मंडल का प्रत्येक दिन का गतिविधि एवं उपस्थिति लगातार माह जून 2024 तक दर्ज करेंगे एवं इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को समर्पित करेंगे।

आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रतिलिपि विपक्षी एवं थाना प्रभारी, पथरगामा को देगें तथा इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को भी निर्गत करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा
30/03/24

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।
30/03/24

डी0वी0 सं0 61 5/4/24 एवं 62 5/4/24 से निर्गत

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.11.12 12:57:04 +05:30
Location: 192.168.1.9